बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०

7, सरदार पटेल मार्ग पटना-15

ठीकेदार सूचीकरण नियमावली

निगम द्वारा पूर्व निर्गत ठीकेदार सूचीकरण/नवीकरण सभी नियमावली को अवक्रमित करते हुए पथ निर्माण विभाग/ बिहार सरकार के एक सरकारी उपक्रम बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० द्वारा निर्गत बिहार ठीकेदारी सूचीकरण नियमावली 2006 को जनसाधारण की जानकारी हेतु एतद् द्वारा प्रकाशित की जाती है ।

नियम

1.(i) यह बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० ठीकेदारी सूचीकरण नियमावली 2006 कहलायेगी ।

(ii) यह नियमावली इस विषय पर लागू सभी पूर्ववर्त्ती नियमों का अवक्रमण (नामांकन के आधार पर कार्य आवंटन छोड़कर) करेगी तथा तुरंत प्रभावी होगी ।

2. ठीकदारों को पुलों के निर्माणार्थ निम्नलिखित श्रेणियों में निबन्धित (सूचीवद्ध) किया जायेगा ।

(क) प्रथम श्रेणी:- किसी भी रकम तक के निर्माण कार्य से संबंधित निविदा देने के लिए अर्हित।

(ख) द्वितीय श्रेणी:- 500 (पाँच सौ) लाख रूपये तक के निर्माण कार्य से संबंधित निविदा देने के लिए अर्हित ।

(ग) तृतीय श्रेणी:- 100 (एक सौ) लाख रूपये तक के निर्माण कार्य से संबंधित निविदा देने के लिए अर्हित ।

3. श्रेणी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय के अधीन सूचीवद्ध ठीकेदार सम्पूर्ण राज्य में ठेका लेने के पात्र होंगे।

4. श्रेणी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय में ठीकेदारों का सूचीकरण अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० द्वारा सचिव (योजना एवं प्रशासन), उप मुख्य अभियंता उत्तर बिहार अंचल, उप मुख्य अभियंता दक्षिण बिहार अचंल एवं वित्तीय सलाहकार सह मुख्य लेखा पदाधिकारी/लेखा पदाधिकारी, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० की गठित समिति की अनुशंसा पर की जायेगी । सचिव (प्र०-अप्रा०) इस समिति के संयोजक होंगे ।

5.(i) श्रेणी- प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय में सूचीवद्ध ठीकेदारों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे जब कभी इस निगम में निर्माण कार्य करें तब निम्न रूप से तकनीकी कर्मचारियों का नियोजन करें :-

(अ) 500 लाख रूपये से अधिक	:-	निर्माण कार्य की अपेक्षानुसार निगम के एक परियोजना पर श्रेणी- प्रथम के ठीकेदारो को अपने द्वारा नियोजित कम से कम एक प्रशिक्षित स्नातक असैनिक अभियंता को नियोजित करना होगा । नियोजित अभियंता को कम से कम तीन वर्षो का पुल कार्य का अनुभव अनिवार्य होगा । वृहत कार्यो के लिए निगम, निविदा में कार्य की अपेक्षानुसार शर्ते भी दे सकती है जिसका अनुपालन निबंधित ठीकेदारों द्वारा करना अनिवार्य होगा ।
(ब) 100 लाख रूपये से 500 लाख रूपये तक के बीच की लागत वाले कार्य के लिए	:-	कम से कम एक स्नातक अभियंता (असैनिक) या एक डिपलोमाधारी (असैनिक) अभियंता नियोजित करना होगा । नियोजित अभियंताओं को कम से कम 3 वर्षो एवं 5वर्षो का क्रमश स्नातक एवं डिपलोमाधारी अभियंता को पुल कार्य का अनुभव अनिवार्य होगा ।
(स) 100 लाख रूपये तक के लागत	:-	कम से कम एक योग्य डिप्लोमा असैनिक अभियंताओं को कम से कम एक वर्ष का पुल कार्य का अनुभव अनिवार्य होगा ।

(ii) निबंधित ठीकेदारों द्वारा निर्माण कार्य प्राप्त होने एवं कार्यादेश निर्गत होने के पूर्व स्थल पर रखे जानेवाले अभियंताओं की शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव, निगम के सक्षम पदाधिकारी द्वारा मान्य होनी चाहिए । ठीकदारों द्वारा केवल नाम दे देना ही पर्याप्त नही होगा, बल्कि वे अभियंता निगम में कार्य स्थलों पर नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे और ठीकेदार के लिए कार्य करेंगे ।

6. किसी भी श्रेणी में सूचीवद्ध ठीकेदार सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में अथवा निविदा आमंत्रण सूचना में निगम/विभागीय संहिता नियमावली और परिपत्रों के अनुसार अग्रधन एवं प्रतिभूति की राशि जमा करेगा । उनसे यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वे निविदा आमंत्रण सूचना में विहित प्रावधानों अथवा प्रचलित नियमावली के अनुसार निविदित कार्य के लिए परिमाण विपत्र के लिए मूल्य की राशि निविदा सूचना में बताये गये निदेशानुसार कार्यालय में जमा करेंगें ।

7. विभिन्न श्रेणी के ठीकेदारों के लिए निम्नलिखित अर्हताये अपेक्षित है :-

(i) प्रथम श्रेणी

(क) इस श्रेणी में सूचीकरण के इच्छुक ठीकेदार व्यक्ति/फर्म/निजी /लोक सीमित कम्पनी होगी । प्रत्येक निविदा के साथ ठीकेदारों को निगम/विभागीय संहिता नियमों एवं परिपत्रों के अनुसार जब कभी अपेक्षा की जाय अग्रधन की राशि एवं प्रतिभूति की राशि जमा करनी होगी ।

(ख) इस श्रेणी में सूचीकरण हेतु इच्छुक ठीकेदारों के पास वृहत कार्यो के सभी प्रक्रमों को करने के लिए स्थाई एवं पर्याप्त अभियंत्रण संगठन होना चाहिए। उसके पास पुल कार्य के सभी अव्यवों से संबंधित सभी प्रकार का पर्याप्त संख्या में मशीन एवं सयंत्र का स्वामित्व भी होना चाहिए यथा :-

(i) कंक्रीट मिक्चर, भाईब्रेटर -
(ii) कम्प्रेसर -
(iii) विन्च मशीन -
(iv) स्टील स्टेजिंग -
(v) जेनरेटर, ट्रक -
(vi) डेरिक, बुम -
(vii) क्रेन -
(viii) स्टील शटरिंग प्लेट -
(ix) प्रीस्ट्रेसिंग जैक -
(x) स्ट्रेसिग पम्प -
(xi) ग्राउटिग पम्प -
(xii) कंक्रीट बैच मिक्सींग प्लांट कंक्रीट पम्प टीपर लोडर -
(xiii) पोकलैड -
(xiv) पाईलरींग मशीन (डी॰एम॰सी॰ सिस्टम) -
(xv) प्लेट कम्पैक्टर -
(xvi) जे॰सी॰बी॰ -

उपर्युक्त कोटि के संयंत्रों एवं मशीनरियों के स्वामित्व रखने वाले ठीकेदार सभी प्रकार के पुल एवं पुलियों एवं अन्य आर॰सी॰सी॰ संरचना के कार्य करने के हकदार होगें ।

वे अपने आवेदन के साथ अपने सभी अभियंत्रण, संगठन तथा यंत्र-संयंत्र मशीनरी एवं औजारों का स्वामित्व का पूर्ण विवरण प्रमाण के साथ समर्पित करेंगें ।

(ग)प्रथम श्रेणी में सूचीकरण हेतु इच्छुक ठीकेदार (व्यक्ति/फर्म/निजी/लोक सीमित कंपनी) द्वारा बिहार या किसी भी राज्य अथवा केन्द्र सरकार के कार्य विभागों या लोक उपक्रमों में संतोषजनक ढंग से निष्पादित पुल निर्माण कार्य से संबंधित कम से कम 100-100लाख रूपये कुल पांच कार्यो

और कुल मिलाकर 700 लाख रूपये के कार्य करने का अनुभव प्रमाण-पत्र (पिछले पाँच वर्षो में) समर्पित करना होगा ।

(7)(2) द्वितीय श्रेणी

(क) इस श्रेणी में सूचीकरण हेतु इच्छुक ठीकेदार व्यक्तिगत, फर्म, निजी अथवा लोक सीमित कम्पनी होगा । ठीकेदार को प्रत्येक निविदा के साथ निगम/विभागीय संहिता नियम और परिपत्र के अनुसार यथा अपेक्षित अग्रधन की राशि ओर प्रतिभूति की राशि जमा करना होगा ।

(ख) इस श्रेणी में सूचीकरण हेतु इच्छुक ठीकेदारों को कम से कम एक स्नातक सिविल अभियंता या एक डिप्लोमाधारी (असैनिक) अभियंता हो और उनके पास पुल कार्या के लिए पर्याप्त मशीन, औजार का स्वामित्व होना चाहिए । पुल कार्यो के लिए निम्न संयंत्रों का स्वामित्व होना आवश्यक है:-

(i) कंक्रीट मिक्चर, भाईब्रेटर -
(ii) कम्प्रेसर -
(iii) विन्च मशीन -
(iv) स्टील स्टेजिंग -
(v) जेनरेटर, ट्रक -
(vi) डेरिक, बुम -
(vii) जे०सी०बी० -
(viii) स्टील शटरिंग प्लेट -

(ग)इस श्रेणी में सुचीकरण हेतु इच्छुक ठीकेदार द्वारा इस राज्य या किसी भी राज्य में अथवा केन्द्र सरकार में संतोषजनक ढंग से निष्पादित पुल निर्माण से संबंधित कम से कम 75-75 लाख रूपये का कुल पाँच कार्यो और कुल मिलाकर 500 लाख रूपये के कार्य करने का अनुभव प्रमाण-पत्र (पिछले पाँच वर्षो) समर्पित करना होगा ।

(घ)जिन फर्मो, निजी /लोक सीमित कम्पनी को पुल निर्माण कार्य का कोई अनुभव नही हो वे भी इस श्रेणी में निबन्धन के योग्य होंगे परन्तु 25 (पच्चीस) लाख रूपये की अभिदत (Fixed) पूंजी एवं कम से कम 10लाख रू० की कार्यशील पुंजी (वर्किंग कैपिटल) के साथ वह फर्म, निजी या लोक सीमित कंपनी हो, परन्तु फर्म कंपनी के निदेशकों, हिस्सेदारों में एक व्यक्ति जिसे व्यक्तिगत रूप से पाँच वर्षो का अनुभव अवश्य हो परन्तु उपरोक्त सामग्रियों/सयंत्रों का स्वामित्व होना आवश्यक है । अगर फर्म कंपनी के निदेशकों/हिस्सेदारों में एक स्नातक अभियंता (असैनिक हो तो उनके लिए 2 वर्षो का अनुभव मान्य होगा ।

(7)(3) तृतीय श्रेणी

(क)इस श्रेणी में सूचीकरण कराने हेतु इच्छुक ठीकेदार कोई व्यक्ति/फर्म/निजी या लोक सीमित कम्पनी होगा । ठीकेदारो की प्रत्येक निविदा के साथ निगम/विभागीय संहिता नियम एवं परिपत्र के अनुसार यथा अपेक्षित अग्रधन एवं प्रतिभूति राशि जमा करना होगा ।

(ख)इस श्रेणी में सूचीकरण हेतु इच्छुक ठीकेदार द्वारा इस राज्य के किसी भी विभाग या अन्या राज्यों या केन्द्र सरकार या राज्यों एवं केन्द्र सरकार के लोक उपक्रमों में संतोषजनक ढंग से निष्पादित पुल निर्माण कार्य से संबंधित कम से कम 30-30 लाख रूपये के कुल तीन कार्यों और कुल मिलाकर 100 लाख रूपये के कार्य का अनुभव प्रमाण-पत्र (पिछले पाँच वर्षो में) समर्पित करना होगा ।

(ग)जिन फर्मो, निजी या लोक सीमित कम्पनी को पुल निर्माण कार्य का कोई अनुभव नही हो वे भी इस श्रेणी में निबन्ध के योग्य होंगें परन्तु यह फर्म निजी या साझेदार या लोक सीमित कंपनी की कम से कम 10 (दस) लाख रूपये की कार्यशील पूँजी हो, परन्तु उस फर्म में कम से कम कोई भी हिस्सेदार जिसे व्यक्तिगत रूप से तीन वर्षो का अनुभव अवश्य हो तथा निम्नलितख सामग्रि/सयंत्रों का स्वामित्व होना आवश्यक होगा ।

(i) कंक्रीट मिक्चर, -
(ii) भाईब्रेटर -

अगर फर्म, कंपनी में कम से कम कोई भी हिस्सेदार एक स्नातक अभियंता (असैनिक) हो तो उनके लिए 1 वर्ष का अनुभव मान्य होगा ।

(8) किसी भी साझेदारी फर्म/निजी/लोक सीमित कंपनी के हिस्सेदारो निदेशको को उनके फर्म कंपनी का अनुभव उनका व्यक्तिगत अनुभव नही माना जायेगा।

(9) यदि ठीकेदार व्यक्ति/फर्म किसी श्रेणी में सूचीकरण के लिए इन्छुक हो तो उन्हें अपने आवेदन पत्र के साथ उस जिला के जिला पदाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक द्वारा निर्गत अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति फोटोग्राफ सहित संलग्न करना होगा, जिस जिला का ठीकेदार (व्यक्ति फर्म) निवासी हो या उस फर्म का कार्यालय जिस जिला में उवस्थित हो ।

(10) सूचीकरण के लिये ठीकेदारों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे आवेदन-पत्र (परिशिष्ट 'क' में) विहित प्रपत्र में दें । उनसे यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वे (परिशिष्ट 'ख' में) तथा विहित प्रपत्र (परिशिष्ट 'ग') बुकलेट दो प्रतियों में संलग्न करें जिसमें निम्नांकित वांछित सूचनायें /कागजात संलग्न हो ।

(क)सभी कार्यकलापों के लिए जैसे परिमाण विपत्र का क्रय निविदा कागजातों का समर्पण, एकरारनामा का कार्यान्वयन, निगम के साथ पत्राचार, भुगतान प्राप्ति की रसीद एवं अन्य कोई संवद्ध विषय के संबंध में निगम के साथ व्यवहार करने के लिए ठीकेदार व्यक्ति/व्यक्तियों के फोटो प्राधिकृत करेगें । वैसे प्राधिकृत व्यक्ति से अपेक्षा की जायेगी कि वे उपर्युक्त बुकलेट पर अपना हस्ताक्षर करें, जिसे निगम द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी अभिप्रमाणित करेगा ।

(ख)ठीकेदार व्यक्ति या फर्म जिन बैंक के द्वारा वे अपना-अपना बैंकिग संबंधी मामले का व्यवहार करते है उस बैंक का नाम, शाखा कार्यालय एवं अपनी खाता संख्या का भी उल्लेख करेंगें। विशेष परिस्थिति में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी के ठीकेदार यदि वे चाहें तो दो खाता संख्या भी दे सकेंगें ।

(ग)ठीकेदारों की प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी में सूचीकरण कराने के इच्छुक ठीकेदार/व्यक्तिगत या फर्म, निजी अथवा लोक सीमित कंपनी से अपेक्षा की जायेगी कि वे आयकर विभाग में जहाँ उन्होंने कर निर्धारण हेतु आयकर विवरणी समर्पित किया हो, उस आयकर विभाग के कार्यालय स्थान, अंचल संख्या, वार्ड संख्या को दर्शाते हुए पी०ए०एन० संख्या का उल्लेख करेंगें । संवेदक अद्यतन आयकर सफाया प्रमाण-पत्र भी देंगें ।

11. विभिन्न श्रेणियों में ठीकेदारों की श्रेणी में सूचीकरण के लिए आवेदन-पत्र विहित प्रपत्र (परिशिष्ट 'क') में देंगें । निबन्धन के लिये आवेदन-पत्र के साथ जमा किया गया निबन्धन शुल्क अप्रत्यार्पणीय (नन रिफन्डेबुल) होगा ।

12. विभिन्न श्रेणियों के ठीकदारो के लिए निबन्धन शुल्क निम्नांकित होगा:

क्रमांक	ठीकेदारों की श्रेणी	निबंधन शुल्क
(1)	प्रथम श्रेणी	रूपये 25,000.00 (पच्चीस हजार रूपये)
(2)	द्वितीय श्रेणी	रूपये 15,000.00 (पन्द्रह हजार रूपये)
(3)	तृतीय श्रेणी	रूपये 10,000.00 (दस हजार रूपये)

(13)(i)किसी भी श्रेणी का निबन्धन निर्गत की तिथि से तीन वर्षो के लिए विधि मान्य होगा । ठीकेदार अपने निबन्धन का नवीकरण हेतु आवेदन-पत्र, अवधि समापन के तीन माह पूर्व कर सकेगा और उसके साथ बैंक ड्राफ्ट के साथ अपने-अपने श्रेणी के लिए उस समय के निर्धारित निबन्धन शुल्क की आधी राशि, नवीकरण शुल्क के रूप में जमा करेगा । पुराने निबन्धन की विधि मान्यता के लिए अनुग्रह अवधि निबन्धन की तिथि समाप्त होने से एक माह तक होगी । निबन्धन का नवीकरण करते समय पूर्व के कार्यकलाप पर विचार किया जायेगा ।

(14) व्यक्तिग रूप से ठीकेदार या निबन्धित फर्म के साथ साझीदार या निजी लोक सीमित कम्पनी के किसी निदेशक या उनके तकनीकी कर्मचारी या उनके किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निम्नलिखित में से किसी कदाचार के कारण निगम के किसी श्रेणी में निबन्धित ठीकेदार का नाम काला सूची में डाल दिया जा सकेगा:-

(i) संबंद्ध निगम के किसी पदाधिकारी या कर्मचारी के साथ अनुशासनहीनता का व्यवहार

(ii) एकरारनामा एवं विहित विनिर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक ।

(iii) निविदा कागजातों की प्राप्ति या निविदा कागजातों की प्रस्तुतीकरण या उससे संबंद्ध कोई कार्य करते समय सरकारी कार्यालय में विधि व्यवस्था की समस्या पैदा करने के लिये ।

(iv) ठीकेदार द्वारा अपना कार्य किसी दूसरे ठीकेदार/किसी व्यक्ति को सौंपने (सवलेटिंग)

(v) संबंद्ध पदाधिकारी या कर्मचारी को अभित्रासित करने या उनपर हमला करने के लिये ।

(vi) ठीकेदार द्वारा सरकारी सामान जैसे सिमेन्ट स्टील एवं अलकतरा इत्यादि बेचते हुए पाये जाने पर

(vii) ठीकेदार द्वारा निविदा प्राप्त करने के लिए गलत अग्रधन या प्रतिभूति राशि एवं गलत कागजात समर्पित करने पर ।

(15) किसी विशिष्ट श्रेणी के ठीकेदार को काली सूची में दर्ज करने के लिये कारण बताओ नोटिस देने के पश्चात् ही अंतिम निर्णय, सक्षम निबंधन पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

(16) एक बार किसी व्यक्ति फर्म/कम्पनी का निबन्धन हो जाने के बाद इसके मूलभूत संरचना में परिवर्त्तन के लिये नया निबन्धन करना अनिवार्य होगा ।

(6)

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०

7, सरदार पटेल मार्ग पटना-15

(ठीकेदारी के सूचीकरण/नवीकरण के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र)

(परिशिष्ट "क")

1. निबंधन/नवीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र :-
   (क) आवेदक का नाम :-

   (ख) पिता का नाम :-

   (ग) जन्म तिथि :-

   (घ) पूरा पता :-

2. व्यक्ति/फर्म निजी या लोक सीमित या अविभाजित हिन्दु परिवार व्यक्ति का निबन्धित साझीदारी फर्म है विलेय एवं आर्टिकल ऑफ एसोशियेशन की अभिप्रमाणित प्रतियां संलग्न की जाय । :-

3. मुख्तारनामा धारण करने वाले व्यक्ति का नाम । मुख्तारनामा की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जाय । :-

4. साझेदारों के नाम, साझेदारी अभिलेख की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जाय ।

5. बैंकर का नाम और पता :-
   टिप्पणी: मूल बैंकर प्रतिवेदन, उसकी वित्तीय क्षमता को दर्शाते हुए अधिमानतः सीलबन्द लिफाफे में दिया जाय ।

6. कारोबार स्थान :-

7. वर्ग और कोटि, जिसमें सूचीकरण करना हो अथवा पहले से हीं सूचवद्ध है, निबन्धन का ब्यौरा सहित । :-

8. निष्पादित किये गये कार्यो की सूची निम्नलिखित प्रपत्र में अलग-अलग शीट में दिखाया जाय । :-

   1. कार्य का नाम :-

2. एकरारनामा संख्या एवं वर्ष :-

3. एकरारनामा की राशि :-

4. कार्य प्रारंभ करने की तिथि :-

5. कार्य पूरा करने की तिथि :-

6. कार्य के लिये भुगतान की गई राशि :-

7. प्रमंडल का नाम जिसके अधिन कार्य किया गया हो :-

8. संतोषजनक ढंग से कार्य पूरा करने संबंधी कार्यपालक अभियंता का प्रमाण पत्र । :-

9. क्षेत्र जहां ठीकेदार कार्य करना चाहता हो :-

10. ठीकेदार नियम 7.I(ख) 7. II (ख) के अनुसार मशीनों का ब्यौरा दें । :-

11. नियम 7.I(ख) 7. II (ख) के अनुसार अभियंत्रण संगठन का ब्यौरा दें ।

12. क्या आवेदक किसी साझेदारी फर्म/निजी लोक सीमित कम्पनी का हिस्सेदार/निदेशक के अनुभव के आधार पर निबंधन कराना चाहतें है । :-

(यदि हाँ तो उनके फर्म कम्पनी का अनुभव उनका व्यक्तिगत अनुभव निबंधन के लिए मान्य नही होगा।)

13. यदि आवेदक पूर्व से ही केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग /पथ निर्माण विभाग, बिहार में सूचीवद्ध हो, तो उसका वर्ग और कोटि यदि किसी अन्य विभाग में सूचीवद्ध हो तो जिस रकम तक की निविदा देने के लिये उसकी अहर्त्ता हो, उसकी राशि दर्शाते हुए वर्ग ओर कोटि का विवरण दें । :-

14. क्या आवेदक इस विभाग में सूचीबद्ध किसी फर्म या शेयर धारक या साझीदार है ?

15. क्या आवेदक अथवा शेयर धारण करने वाला / वाले उसके साझीदार भारतीय संसद या विधान सभा का सदस्य है ? :-

16. क्या आवेदक अथवा शेयर धारण करने वाला / :-
वाले उसकी साझीदार बर्खास्त सरकारी सेवक है/हो ?

17. क्या आवेदक के नियोजनाधीन बर्खास्त सरकारी
सेवक है ?

18. क्या आवेदक या उसका कोई साझीदार या शेयर
धारक का नाम काली सूची में दर्ज है अथवा
ठीकेदारों की अनुमोदित सूची से हटा दिया गया है
अथवा निम्न वर्ग में पदावनत कर दिया है या पूर्व
में किसी विभाग द्वारा पारित आदेश से आवेदक के
साथ कारोबार करने से मनाही स्थगित
किया गया है ?

19. क्या ठीकेदार में ठीकेदारों के सूचीकरण से संबंधित :-
नियमावली को पढ़ लिया है और उसके प्रति प्रतिबद्ध
करने को तैयार है ?

20. यदि ठीकेदार वर्ग-ए को छोड़कर अन्य किसी कोटी :-
में सूचीकरण कराने के लिए इच्छुक हो तो वह /
वे अपने आवेदन-पत्र के साथ उस जिला के जिला
पदाधिकारी आरक्षी अधीक्षक द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण
पत्र पासपोर्ट आकार के फोटो सहित लगावें जिस जिला
के वे (व्यक्ति या फर्म) निवासी हो या उस जिला में
व्यक्ति फर्म का कार्यालय अवस्थित हों ।

21. दो प्रतियों (प्रपत्र संलग्न) में फोटो और बुकलेट :-
संलग्न करें

22. ठीकेदार निबंधन/नवीकरण निबंधन शुल्क जमा करने :-
संबंधी बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति संलग्न करें ।

23. ठीकेदार वैसे अंचल में निविदा दाखिल करने का :-
हकदार नहीं होंगें जिसमें उसके नजदीकी सम्बन्धी
प्रमण्डलीय लेखापाल या कनीय अभियंता के अन्यून
पंक्ति के पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हों ।
किसी ठीकेदार द्वारा इस शर्त्तों का उल्लंघन, सूची से
नाम हटाने के लिये पर्याप्त होगा ।

टिप्पणी :- नजदीकी सम्बन्धी पद से अभिप्रेत है पति/पत्नी, माता, पिता, भाई, बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के सम्बन्धी । मैं हमलोग प्रमाणित /प्रमाणित करता हूँ /करते करते है कि ऐसा हमलोगों का / के नाम ठीकेदार/ठीकेदारों के रूप में विभाग में एक से अधिक वर्ग में निबंधित नहीं है ।

तिथि

आवेदक का हस्ताक्षर और पता

महत्वपूर्ण सूचनाएं :-
आवेदन-पत्र के साथ सभी सुसंगत कागजातों / प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियों को किसी राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित कराकर संलग्न किया जाय ।

1. अद्यतन आय कर एवं वाणिज्य-कर सफाया प्रमाण-पत्र :-

2. वाणिज्य कर निबन्धन प्रमाण-पत्र :-

3. अद्यतन वाणिज्य कर सफाया प्रमाण-पत्र :-

4. अद्यतन लेवर लाईसेंस नवीकरण प्रमाण-पत्र :-

5. अभियंत्रण डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण-पत्र :-

6. बेरोजार अभियंत्रण स्नातक तथा साझेदार/निदेशक किसी फर्म का कार्य देख-रेख करने से संबंधित शपथ पत्र :-

7. यंत्र-सयंत्र तथा अन्य मशीनरी इक्यूपमेनट इत्यादि का स्वामित्व प्रमाण-पत्र । :-

8. निबन्धन/नवीकरण शुल्क निगम मुख्यालय में जमा किये गये रसीद की मूल प्रति । :-

टिप्पणी :- क्रमांक (1) से (8) के प्रमाण-पत्र के बिना निबंधन सूचीकरण हेतु आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे । निबन्ध/नवीकरण के लिये आवेदन समर्पित करते समय आवेदकों को अपने मूल प्रमाण-पत्रों को लाकर कार्यालय में अभिप्रमाणित प्रतियों का सत्यापन करा लेना अनिवार्य होगा ।

(2)

(परिशिष्ट "ख")

1. संवेदक का नाम
(व्यक्ति/फर्म/निजी या लोक सीमित कंपनी :-

2. पिता का नाम :-
(संवेदक/व्यक्ति)

3. पूरा पता :-
(मुहल्ला, थाना+पो०, जिला एवं पिन कोड सहित)

(संवेदक का पासपोर्ट साईज फोटो)

4. (i) निबन्ध संख्या (श्रेणी/वर्ष सहित) :-
(ii) निबंधन की विधि एवं मान्यता अवधि :-

5 संवेदक का पासपोर्ट आकार का अभिप्रमाणित फोटो :-

6. संवेदक (फर्म/निजी या लोक सीमित कम्पनी) के पावर ऑफ एटोर्नी प्राप्त व्यक्ति का नाम और उसका पूरा पता (मुहल्ला, थाना-पो०, जिला एवं पिन कोड सहित) :-

पावर ऑफ एटोर्नी प्राप्त व्यक्ति का पासपोट साइज फोटो

7. क्रमांक-6 के प्राधिकृत व्यक्ति का पासपोर्ट आकार का अभिप्रमाणित फोटो :-

8. क्रमांक-6 के प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर :-

9. संवेदक का हस्ताक्षर :-

10. फोटो अभिप्रमाणित करने वाले राजपत्रित पदाधिकारी का हस्ताक्षर / नाम/पदनाम एवं कार्यालय की मुहर सहित । :-

11.

निबंधन	नवीकरण	नवीकरण/निबंधन स०	निबंधन करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर (मुहर के साथ)

से तक
से तक
से तक

(परिशिष्ट ''ग'')

1. व्यक्ति, फर्म, निजी या लोक सीमित कम्पनी का नाम :-

2. पिता का नाम (व्यक्ति) :-

3. पूरा पता :-

4. निबंधन संख्या :-
दिनांक
श्रेणी

5. विधि मान्यता अवधि :-

6. नवीकृत विधि मान्यता की
तारीख से तक :-

7. प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और उसका पूरा पता :-
नियम 10 (क) के अनुसार

8. प्राधिकृत व्यक्ति का पासपोर्ट आकार का फोटो :-

9. प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर :-

10. संवेदक का हस्ताक्षर :-

11. ठीकेदार का निबन्धन करने वाले पदाधिकारी का :-
हस्ताक्षर मोहर सहित ।